न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/135/2021	08–10–2021	24–08–2022

01– मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति गूर्जर निवासी ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

–: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार प्रतापगढ दिनांक 19.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 76/2020

उपस्थित:–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार प्रतापगढ के आदेश दिनांक 19.08.2020 प्रकरण संख्या 76/2020 जिसके द्वारा सम्वत 2077 में अपीलान्ट को ग्राम झिरी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 2983 रकबा 1.30 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा में मकान व पक्की चारदीवार बनाकर अवैध कब्जा किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 2983 में गांव के काफी व्यक्तियो ने मकान बना रखे है तथा उनके द्वारा रिहायश की जा रही है, अपीलान्ट का जो कब्जा है, अपीलान्ट के बुजुर्गो के समय से यानि 50–60 सालों से रिहायशी मकान बना चला आ रहा है। पहले कच्चे घर मकान बने हुये थे। अब अपीलान्ट ने करीब 5 साल पूर्व 2 पक्के कमरे, 1 जीना, आगे चबूतरा, टीनशेड डाल रखी है, व 1 पानी की टंकी बना रखी है, मवेशी वगैराह के लिए एवं राहगीरो के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ भी बना रखी है। अपीलान्ट ने छाया के लिए 4 पेड़ अशोका के, 1 पेड़ नीम का, 1 पेड़ अमरूद का लगा रखे है। उक्त कमरो में अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश करते आ रहा है। उक्त रकवें के आस पास ही अन्य गांव वालो का कब्जा चला आ रहा है, गांव के अन्य व्यक्तियों जिन्होने मकान बना कर रिहायश कर रखी उनके खिलाफ पटवारी हल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट नही की अपितु अपीलान्ट जो कि एक भूमिहीन गरीब व गुर्जर जाति का है, के खिलाफ पडौसी व्यक्ति जो कि अपीलान्ट से रंजिश रखता है, एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहता है। विवादित आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 है0 काफी बडा रकबा है, जिसमें से 0.05 है0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना बताया है, वह बिना पैमाईश के साबित नही हो सकता है, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनेको नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि जहां पटवारी हल्का ने बडे रकबें में से अपीलान्ट अतिकमी द्वारा कोई छोटे रकबे में अतिक्रमण किया हुआ है, तथा उसकी पहचान नही करवाई है तो ऐसी रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा पारित किया गया निर्णय न्यायोचित नही माना है। आलोच्य निर्णय करने से पूर्व तहत अदालत ने विधिक प्रकिया का कतई पालन नही किया। जब अपीलान्ट ने नोटिस की तामील होने के बाद तारीख पेशी दिनाक 10.08.2020 को स्वयं तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश किया पीठासीन अधिकारी के कोरोना बीमारी में व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण अपीलान्ट से कहा गया कि आपको पुनः नोटिस देकर बुला लिया जावेगा, लेकिन ऐसा नही करके तहत अदालत ने पूर्ण साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया जो न्यायहित में आवश्यक था। दिनांक 11.10.2020 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार प्रतापगढ ने धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत निर्णय पारित किया जा चुका है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनाक 12.10.2020 को नकल हेतु तहत अदालत में आवेदन किया गया जो दिनांक 14.10.2020 को प्राप्त हुई। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह निर्णय की जानकारी नही होने के कारण हुई है। जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.08.2020 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकीन राडा में मकान व पक्की चारदीवार बनाकर अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व पैनल्टी कायम की गई है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 22.10.2020 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह 3 दिवस बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.10.2020 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकीन राडा पर अपीलान्ट का जो कब्जा है, अपीलान्ट के बुजुर्गो के समय से यानि 50–60 सालो से रिहायशी मकान बना कर चला आ रहा है। पहले कच्चे घर मकान बने हुये थे। अब अपीलान्ट ने करीब 5 साल पूर्व 2 पक्के कमरे, 1 जीना, आगे चबूतरा, टीनशेड डाल रखी है, व 1 पानी की टंकी रखी है, मवेशी वगैराह के लिए एवं राहगीरो के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ भी बना रखी है। अपीलान्ट ने छाया के लिए 4 पेड अशोक के, 1 पेड नीम का, 1 पेड अमरूद का लगा रखा है। उक्त कमरो में अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश करते आ रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का झिरी तहसील थानागाजी द्वारा दिनांक 20.07.2020 को सम्वत 2077 में आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 किस्म गै0 मु0 राडा की भूमि में से 0.5 है0 भूमि पर मकान व पक्की दीवार बनाकर अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब पेश किया गया जिसमें स्वयं अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण स्वीकार किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि आराजी की किस्म गैर मुमकिन राडा है, जो भारत सरकार की अधिसूचना 07.05.1992 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि पर अतिकमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.08.2020 यथावतः रखा जाता है, निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)